लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश

गौतम नगर, चेतक ब्रिज के पास, भोपाल
दूरभाष 0755–2583650, फैक्स–2583651, ई–मेल: virtualclass.dpi@gmail.com

क्रमांक / वर्चु.क्लास / 23 / 2018 / 121 भोपाल, दिनांक 01-10-18

प्रति,

1. समस्त संयुक्त संचालक लोक शिक्षण,
   मध्यप्रदेश ।
2. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,
   मध्यप्रदेश।
3. समस्त प्राचार्य,
   उत्कृष्ट उ0मा0 विद्यालय, ,(जहाँ वर्चुअल क्लास संचालित है)
   मध्यप्रदेश ।

विषयः– वर्चुअल क्लास योजना अंतर्गत असंचालित केन्द्रो को संचलित किए जाने के संबंध में ।

संदर्भः– संचालनालय का पत्र कमांक वर्चु.क्लास / 2018 / 83 दिनांक 13.08.2018 एंव पत्र कमांक 88 दिनांक 23.08.18

वर्चुअल क्लास योजना वर्तमान में स्कूल शिक्षा विभाग के 224 केन्द्रो में एंव आदिम जाति कल्याण विभाग के 89 उत्कृष्ट विद्यालयों में संचालित है । योजना का उद्देश्य योग्य प्रशिक्षित एंव चयनित उत्कृष्ट व अनुभवी शिक्षक, शिक्षिकाओं द्वारा विभिन्न प्रयोगों, दृष्य–श्रव्य माध्यमों के उपयोग द्वारा विभिन्न विषयों की कठिन अवधारणाओं का रूचिकर एंव बोधगम्य तरीके से सरलीकरण कर अध्यापन करना है ।

प्रायः देखने में आ रहा है कि संदर्भित पत्रों एंव विभिन्न वीडियों कांफ्रेसेस के माध्यम से दिये गये निर्देशों के बावजूद भी अधिकांश केन्द्रों पर लॉगइन नहीं किया जा रहा है । स्थिति यह है कि या तो कस्टोडियन टीचर्स लॉगिन ही नहीं करते या मात्र उपस्थिति दर्ज करा कर लॉगऑफ हो जाते हैं । एन0आई0सी0 से संचालनालय के वर्चुअल कक्ष को प्राप्त रिपोर्ट में लॉगइन करने की अवधि में मात्र कुछ ही विद्यालय पूर्ण कालिक अर्थात 6 कालखण्ड लॉगिन करते पाये गये हैं। यह स्थिति ठीक नहीं है । अतः निर्देशित किया जाता है कि :–

1. योजनान्तर्गत चयनित सभी उत्कृष्ट विद्यालय हैं। अतः इन विद्यालयों के पास अर्थाभाव नहीं है, इसलिये हार्डवेयर की छोटी–मोटी समस्यायें जैसे माईक की खराबी, बैटरी का रख–रखाव, माउस, की–बोर्ड इत्यादि की व्यवस्था स्थानीय निधि से करें ।
2. प्रथम तिमाही के परीक्षा परिणाम के आधार पर योजना में सम्मिलित सभी विद्यालय "डी" एंव "ई" ग्रेड के छात्र–छात्राओं का एक विशेष सेक्शन बनायें तथा वर्चुअल कक्षा में मात्र "डी" एंव "ई" ग्रेड के छात्र–छात्राओं के इस सेक्शन को ही नियमित रूप से पूर्णकालिक बैठायें ।
3. कस्टोडियन टीचर्स / विषय शिक्षक की उपस्थिति कक्षा में पूर्ण कालिक सुनिश्चित की जावे । प्रायः देखने में आया है कि कक्षा के दौरान बच्चे आपस में लडते–झगडते, टेबिलों पर चढते, भागदौड़ करते रहते हैं । ऐसा मात्र विद्यालय प्रबंधन की निष्क्रियता के कारण हो रहा है । कृपया योजना को गंभीरता से लेते हुये उचित मॉनीटरिंग एंव सुधारात्मक कार्यवाही करें ।

4. इस पत्र के माध्यम से प्राचार्यो तथा कस्टोडियन टीचर्स को सचेत किया जाता है कि यदि नियमित रूप से पूर्ण कालिक वर्चुअल कक्षाओं का संचालन नहीं किया जाता है तब ऐसी स्थिति में एन.आई.सी. से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर कस्टोडियन टीचर्स का लॉगिन न करने वाले कार्य दिवसों का वेतन आहरित नहीं किया जा सकेगा एंव संबंधित प्राचार्यो के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी ।

निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जावे ।

(जयश्री कियावत)
आयुक्त
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

पृष्ठा. क्रमांक / वर्चु.क्लास / 23 / 2018 / 122 भोपाल, दिनांक 01-10-18

प्रतिलिपिः–

1. कलेक्टर, समस्त जिले, म.प्र. ।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, समस्त जिले, म.प्र. ।
3. श्री मयंक नागर, एन.आई.सी. केन्द्र विंध्याचल भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित ।
4. नोडल अधिकारी, मैप आई.टी., स्टेट आई.टी. सेंटर, 47–ए, अरेरा हिल्स, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
5. समस्त कस्टोडियन टीचर्स, शास0 उत्कृष्ट उ.मा.वि., म0प्र0 की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

आयुक्त
लोक शिक्षण,मध्यप्रदेश